# नौकरी की जगह का हुक्म

सत्रहवां फ़िक्ही सेमिनार (बुरहानपुर) दिनांक 28-30 रबीउल अव्वल 1429 हिजरी, 5 - 7 अप्रैल 2008 ई॰ को आयोजित हुआ।

1- नौकरी की जगह व व्यापार में लम्बी अवधि तक ठहरने के साथ व्यक्तिगत मकान भी बना लेना स्थाई तौर पर ठहरने की नीयत का प्रमाण है इसलिए उल्लेखित जगह असली वतन मानी जाएगी : क्योंकि असली वतन में भिन्नता हो सकती है इसलिए वहां चार रकअत वाली नमाज़ पूरी की जाएगी।

2- नौकरी की जगह और व्यापार के स्थान पर व्यक्तिगत मकान तो नहीं बनाया, बल्कि किराए के मकान या कम्पनी के दिए गए मकान में घर परिवार के साथ स्थाई तौर पर रहने की नीयत से ठहरे तो उस जगह को असली वतन का हुक्म लागू होगा और वहां हर हाल में पूरी नमाज़ पढनी होगी।

☆☆☆